

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

आवेदन पत्र

(90-बी से सम्बन्धित प्रकरणों में मानचित्र अनुमोदन हेतु)

सेवा में,

उपायुक्त/आयुक्त/संस्था स्तर पर अधिकृत अन्य अधिकारी,

.....
.....

निवेदन है कि आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के 90-बी (3) परियोजना के
मानचित्र अनुमोदन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन

1.	(अ) आवेदक का नाम व पता	
	(ब) यदि आवेदक मुख्यतया आम है तो पंजीबद्ध मुख्यतया आम की प्रमाणित प्रति	
	(स) यदि आवेदक कंपनी है तो कंपनी का पंजीबद्ध प्रमाण पत्र, कंपनी का मैमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति एवं कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अधिकृत निदेशक के हित में जारी किया गया रजोल्यूशन की प्रमाणित प्रति	
	(द) यदि आवेदक फर्म/संस्था है तो पंजीबद्ध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति	
2.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय के राजस्व अधिकारी स्तर पर आवेदक द्वारा दी गई राजस्व जमाबंदी को ही कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर सत्यापित कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	
3.	आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध में संलग्न दस्तावेज :	
	(अ) नवीनतम जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि (अगर प्रमाणित प्रतिलिपि 90-बी आवेदन पत्र में दी जा चुकी है तो नोटेराइज्ड प्रतिलिपि)	
	(ब) खसरा प्लान की सत्यापित प्रतिलिपि (अगर प्रमाणित प्रतिलिपि 90-बी आवेदन पत्र में दी जा चुकी है तो नोटेराइज्ड प्रतिलिपि)	
	(स) नक्शा ट्रेस की सत्यापित प्रतिलिपि (अगर प्रमाणित प्रतिलिपि 90-बी आवेदन पत्र में दी जा चुकी है तो नोटेराइज्ड प्रतिलिपि)	
4.	आवेदित भूमि की अवाप्ति के संबंध में रिपोर्ट (अगर आवेदक की जानकारी में है तो)	
5.	क्या आवेदित भूमि सम्पूर्ण रूप से आवेदक के नाम राजस्व रिकार्ड/अन्य दस्तावेजों में दर्ज है।	

6.	आवेदित भूमि का मौका स्थिति रिपोर्ट :	
	(i) निर्माण/निर्मित भवन	
	(ii) वृक्षारोपण के संबंध में रिपोर्ट	
	(iii) निर्मित भवन का वर्तमान उपयोग	
7.	आवेदित स्थल के आस-पास का पी.टी. सर्वे प्लान	
8.	आवेदित स्थल का मुख्य सड़क से सम्पर्क बाबत रिपोर्ट	
	(i) विद्यमान सड़क की चौड़ाई	
	(ii) सड़क का विवरण W.B.M./B.T. Road आदि	
	(iii) प्रस्तावित उपयोग हेतु नियमानुसार आवश्यक पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	
	(iv) मुख्य सड़क एवं प्रस्तावित स्थल के मध्य अन्य की भूमि आ रही है, तो संबंधित अन्य खातेदारों से भूमि क्रय किए जाने संबंधी दस्तावेज अथवा सड़क हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में समर्पण सहमति पत्र आदि का विवरण :	
9.	आवेदित भूमि के उपान्तरण हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग	
10.	यदि प्रस्तावित स्थल से एच.टी. लाईन/एल.टी. लाईन गुजर रही है तो नियमानुसार आवश्यक सुरक्षित दूरी से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल का विवरण (साईट प्लान पर अंकित करें)	
11.	मानचित्र अनुमोदन हेतु जमा कराये गये आवेदन शुल्क (अगर संस्था के स्तर पर नियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार) की चालान/रसीद की प्रतिलिपि	
12.	आवेदक द्वारा संस्था को प्रस्तुत किये गये योजना मानचित्र के संबंध में निम्न जानकारी एवं आर्किटेक्ट का विवरण जिसके द्वारा मानचित्र तैयार किया गया है :	
	(i) आर्किटेक्ट/ड्राफ्टमैन/सिविल इंजिनियर का नाम व पता	
	(ii) फर्म यदि कोई है तो उसका नाम व पता	
	(iii) यदि आर्किटेक्ट है तो उसकी रजिस्ट्रेशन संख्या	
	(iv) आर्किटेक्ट/ड्राफ्टमैन/सिविल इंजिनियर द्वारा 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दिया गया शपथ पत्र जिसमें सत्यापित किया जावेगा कि तैयार किया गया ले-आउट प्लान नियमों के अनुरूप है।	
13.	कुल दस्तावेजों की संख्या	
14.	कुल पृष्ठों की संख्या	
15.	आवेदन की दिनांक	

कृपया उक्त विवरण के संबंध में आवेदित भूमि को आवेदक द्वारा प्रस्तावित परियोजना विकसित करने हेतु मानचित्र अनुमोदन करने का श्रम करें।